शोध मंथन Vol. XI No.III July-Sept. 2020 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 7.760 (SJIF)

नवीन शिक्षा नीति–समर्थन एवं आलोचनाएं

डा0 अभय कुमार मीतल,
विभागाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय,
साहू जैन कालेज, नजीबाबाद (उ.प्र.)
Email: akmital30@gmail.com

सारांश

नवीन शिक्षा नीति के माध्यम से सम्पूर्ण शैक्षिक ढांचे में नवीन एवं सार्थक परिवर्तनों का प्रयास किया गया है। शिक्षा को रोजगारन्मुख एवं कौशलयुक्त के साथ रूचि के अनुसार शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं को भी इस नीति में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया गया है। अनेकों विद्वान एवं समीक्षक इस नीति के विभिन्न बिन्दुओं से असहमत हैं और इसे न केवल शैक्षिक परिदृश्य के लिए घातक बता रहे हैं वरन् इस नवीन शिक्षा नीति को विशुद्ध राजनैतिक एजेंडा भी बता रहे हैं। परंतु यहां पर यह विचार करना आवश्यक है कि यदि कोई सार्थक परिवर्तन अथवा सुझाव हैं तो चर्चा के बाद उनको इसमें सम्मिलित कर इसकी त्रुटियों एवं कमियों को दूर कर इसे उचित रूप प्रदान किया जा सकता है। मेरी सम्मति में मात्र विरोध अथवा राजनैतिक कारणों से की जाने वाली आलोचनाओं से हम व्यक्तिगत एवं राजनैतिक रोटियां सेंक सकते हैं परंतु इससे नवीन शिक्षा नीति एवं देश का कोई भला नहीं होने वाला है। हमें स्वस्थ मन एवं खुले विचारों से इसकी वास्तविक कमियों पर चर्चा करके सुधार के लिए प्रयत्न करना चाहिए तभी हम वैश्विक परिदृश्य पर शैक्षिक स्तर पर भारत को पुनः विश्व गुरू के रूप में स्थापित करने में सफल हो पाऐंगे।

प्रस्तावना

भारत में शिक्षा के प्रति पिछले कुछ दशकों से जागरूकता की एक नयी बयार चल रही है। शिक्षा का विभिन्न स्तरों पर निजीकरण, स्वपोषित शैक्षिक संस्थान इस दिशा में एक नवीनता और क्रान्तिकारी परिवर्तन रहा है। यदि हम स्वतन्त्रता के बाद से भारत में शैक्षिक परिदृश्य का अवलोकन करें तो सर्वप्रथम सर्वपल्ली डा0 राधाकृष्णन की अध्यक्षता में सन् 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ। 1964–66 में कोठारी आयोग, नवीन शिक्षा नीति 1986, उसके बाद 1992 में संशोधन के साथ 1023 का लागू किया जाना शिक्षा की क्रमिक यात्रा के रूप में चलते रहे। अब 29 जुलाई, 2020 को नवीन शिक्षा नीति की घोषणा ने पूरे देश में चर्चाओं का एक नवीन आयाम शुरु किया है। जहां शिक्षाविदों एवं विद्वानों का एक वर्ग इसके पक्ष में एवं समर्थन में खड़ा हुआ है वहीं दूसरा पक्ष विरोध एवं आलोचनाओं के स्वर मुखर कर रहा है। वास्तव में हम कुछ भी करें हमें यह याद रखना चाहिए कि सुधार एवं परिवर्तन समय के साथ अवश्यभावी

होते हैं, हम श्रेष्ठ का निर्माण कर सकते है परन्तु सर्वश्रेष्ठ के लिए सुधार एवं परिवर्तनों को निःसंकोच स्वीकार करने के रास्ते सदैव खुले रखने परम आवश्यक है। मात्र शिक्षा के स्वरूप में सैद्धान्तिक परिवर्तन यथार्थ को बदल पाएगा यह निश्चय ही एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर सार्थक एवं सकारात्मक चर्चा कर आवश्यक सुधारों को स्वीकार कर परिवर्तन किए जाने चाहिए। भारतीय शिक्षा में प्रारम्भ से ही व्यावहारिक ज्ञान एवं रोजगार–परकता का अभाव दिखायी देता है, शिक्षा का स्वरूप सदैव वह श्रेष्ठ है जो ज्ञान के साथ रोजगार प्राप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त करे। वर्तमान नवीन शिक्षा नीति 2020 के सम्बन्ध में यदि हम विवोचनात्मक दृष्टिकोण से अवलोकन करें तो इसमें नवीन सम्मिलित किए गए तथ्यों एवं प्रमुख बिन्दुओं को संक्षेप में निम्न प्रकार वर्णित किया जा सकता हैः

1. नवीन निर्देशों के अनुसार मानव संसाधन मंत्रालय का नाम पुनः पूर्व की भांति शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।
2. 10़23 की अवधारणा को परिवर्तित कर 5़33़4 का नवीन स्वरूप लागू किया गया है इसके अन्तर्गत 5 वीं कक्षा तक यह प्री स्कूलिंग होगी, कक्षा 6 से 8 तक मिडिल स्कूलिंग तथा कक्षा 8 से 11 वीं हाईस्कूल होगा जबकि 12 वीं से आगे की शिक्षा ग्रेजुएशन होगी।
3. पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद लागू एम.फिल. डिग्री को समाप्त किया गया है तथा इच्छुक छात्र–छात्राओं को सीधे पीएच. डी. में प्रवेश की व्यवस्था की गयी है।
4. रट्टाफिकेशन पद्धति को समाप्त कर व्यवहारिक ज्ञान एवं ज्ञान के अनुप्रयोग टेस्ट को लागू कर छात्र–छात्राओं को यथार्थ शिक्षा प्रदान की जाएगी।
5. सरकारी एवं निजी स्कूलों में फीस संरचना एक समान रूप से की जाएगी जिसका निर्धारण एवं नियंत्रण सरकारी स्तर पर किया जाएगा। मनमाने फीस ढांचे की व्यवस्था समाप्त होगी।
6. कक्षा 6 के पश्चात छात्र–छात्राएं अपनी रूचि के अनुसार विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चयन कर सकते हैं तथा 8वीं से 11वीं तक के विद्यार्थियों को अपनी रूचि के अनुसार विषय चयन की भी स्वतन्त्रता प्रदान की जाएगी।
7. शिक्षकों के प्रशिक्षण की नवीन परिवर्तनों के अनुसार व्यवस्था की जाएगी तथा 2023 तक शिक्षकों को मूल्यांकन सुधारों की दृष्टि से प्रशिक्षित कर तैयार किया जाएगा।
8. व्यवहारिक ज्ञान एंव रोजगारपरक शिक्षा प्रणाली लागू कर प्रारम्भ से ही विद्यार्थियों को व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाय जिससे आवश्यक शिक्षा के उपरान्त शिक्षा के अनुरूप उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके अथवा यथा–सामर्थ्य वह निज व्यवसाय में संलग्न हो सकें।
9. कानूनी एवं चिकित्सकीय शिक्षा को छोड़कर अन्य शैक्षिक नियुक्तियों एवं व्यवस्थाओं पर नियंत्रण के उद्देश्य से भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन करके व्यवस्थाओं को केन्द्रीयकृत किया जाएगा तथा व्यवस्थाओं एवं नियुक्तियों में पूर्णतः पारदर्शिता का प्रयास किया जाएगा।

इन प्रमुख बातों के अतिरिक्त अन्य बहुत सारे बिन्दु एवं अव्यव इस नवीन शिक्षा नीति में सम्मिलित किए गए हैं जिससे सम्पूर्ण भारतीय शिक्षा व्यवस्था का पूर्ण परिमार्जन हो और हम वैश्विक स्तर पर अन्य विकासशील देशों की व्यवस्थाओं की प्रतियोगिता में पूर्ण क्षमता के साथ अपने–आपको स्थापित कर सकें। स्कूली शिक्षा समाप्त होते ही प्रत्येक के पास रूचि अनुसार विशिष्ट कौशल भी हो जिससे वह सामर्थ्य अनुसार सेवारत हो सके अथवा यथोचित स्व–व्यवसाय में संलग्न् हो सके और शिक्षा अनरूप उसे न केवल प्रतिफल प्राप्ति हो वरन् मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त हो सके।

आलोचनाएं

विद्वानों एवं शिक्षाविदों का एक वर्ग एवं समूह नवीन शिक्षा नीति एवं उसमें किए गए परिवर्तनों से सहमत नहीं है और उनके अनुसार यह केवल एक कागजी एवं सैद्धान्तिक प्रक्रिया है और जिसका व्यवहारिक पक्ष कमजोर है। यह वर्ग शिक्षा नीति के परिवर्तनों के निम्न बिन्दुओं पर अपनी असहमति व्यक्त करते हैः

1. इस वर्ग का मानना है कि इस शिक्षा नीति में आर्थिक एंव शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कोई विशेष या उल्लेखनीय अवयव सम्मिलित नहीं किए गए हैं। अनुसूचित जाति–जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग जो इस दृष्टि से पहले से हाशिए पर हैं उन्हें कोई विशेष राहत प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।
2. शिक्षकों के दृष्टिकोण की इस शिक्षानीति में उपेक्षा की गयी है, शिक्षा सम्बन्धी निर्णय विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपने स्तर पर लिए जाने के कारण भिन्नता रहती है और एकरूपता का अभाव होता है। शिक्षकों के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व बढाए जा रहे हैं परन्तु उनके अधिकारों के विषय में यह नीति मौन है। शिक्षकों को उचित प्रतिफल न प्राप्त होना एक बड़ी समस्या है जिससे उनमें मानसिक असंतोष व्याप्त रहता है और वह अपनी पूर्ण निष्ठा एवं कार्यक्षमता से कार्य नहीं कर पाते।
3. यह नीति बन्द कमरों में राजनीतिक उद्देश्य साधने के लिए उन लोगों द्वारा तैयार की गयी है जिनकों शिक्षा जगत की व्यवहारिक समस्याओं का कोई ज्ञान नहीं है। शिक्षकों को वर्षों तक प्रशिक्षण व्यवस्था समय, धन एवं कार्यक्षमताओं का दुरूपयोग मात्र है जिसका कोई व्यवहारिक लाभ शैक्षिक परिदृश्य को प्राप्त नहीं होने वाला।
4. आलोचक इस नीति को भारतीय शिक्षा को बर्बाद करने का एक तरफा अभियान बताने के साथ इसे पूर्णतः एक राजनैतिक एजेंड़ा बता रहे हैं। उनके अनुसार यह शिक्षा का निजीकरण करने की साजिश है जो शिक्षा की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा तथा आने वाले समय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा स्वप्न की भांति हो जाएगी।
5. एक आलोचना बजट को लेकर भी है सरकार पहले जीडीपी का 4ः शिक्षा पर व्यय करती थी जिसे बढ़ाकर 6ः किया गया है। आलोचक वर्ग का कहना है भारतीय शैक्षिक परिवेश के अनुसार इसे कम से कम 10ः किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्यों के अधिकारों के हनन का तर्क भी इस नीति के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जा रहा है।

किसी भी नीति निर्माण के साथ आलोचकों का मुखर होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है

परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि मात्र विरोध के लिए आलोचना अथवा राजनैतिक कारणों एवं स्वार्थ के लिए आलोचना एवं विरोध को कभी भी न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। यद्यपि यह भी सत्य है कि सुधार की गुंजाइश सदैव रहती है, सार्थक एवं सकारात्मक चर्चा नीति को परिमार्जित एवं परिपक्व करने में सहायक होगी अतः अन्तिम रूप से इस शिक्षा नीति को लागू करने से पूर्व इन व्यवहारिक समस्याओं एवं तथ्यों का संज्ञान लिया जाना अति आवश्यक है।

व्यवहारिक समस्याएं एवं सुझाव

नवीन शिक्षा नीति 2020 से पूर्व भी शिक्षा के स्वरूप में संशोधन एवं परिमार्जन के निरन्तर प्रयास भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही किए जाते रहे हैं परन्तु फिर भी हमारा शैक्षिक ढांचा वैश्विक प्रतियोगिता की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ कहा जा सकता है। व्यावसायिकता, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यवहारिक ज्ञान का अभाव, नीतियों का उचित रूप से लागू न किया जाना, राज्य स्तर पर कुशल सरकारी नीतियों का अभाव, निजी क्षेत्र द्वारा शिक्षकों को उचित प्रतिफल न दिया जाना तथा अनावश्यक शोषण, अनावश्यक राजनैतिक हस्तक्षेप, नियुक्तियों में पारदर्शिता का न होना, शिक्षकों की व्यवहारिक समस्याओं की अनदेखी, कक्षाओं में अत्याधिक कम उपस्थिति, संसाधनों का अभाव, शोध कार्य आदि के लिए अनुपयुक्त वातावरण एवं प्रोत्साहन का अभाव, समय आधारित प्रोन्नति (योग्यता आधारित न होना) आदि ऐसी अनेकों व्यवहारिक समस्या है जो शिक्षा जगत की प्रगति में बाधा बनती रही हैं। यदि हमें अपनी शिक्षा को उन्नति की राह पर ले जाना है तो इन समस्याओं का निराकरण अति आवश्यक है। इस सम्बन्ध में निम्न समाधान एवं सुझाव प्रस्तावित है

1. प्रत्येक को शिक्षा का अधिकार सर्वविदित एवं सर्वस्वीकार्य है परन्तु यदि इसके लिए व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गयी तो इन नीतिगत तथ्यों एवं रूपरेखा का वास्तविक क्रियान्वयन हो सकेगा यह एक यक्ष प्रश्न है। इस समस्या पर गम्भीर चिंतन कर इसके समाधान की महती आवश्यकता है।
2. प्रोन्नति व्यवस्था में शैक्षिक योग्यताओं, शैक्षिक क्रियाकलापों एवं संस्थागत कार्यों में योगदान को सम्मिलित किया जाय तथा प्रस्तुत एवं संलग्न प्रमाणपत्रों का यथार्थ भौतिक एवं स्थलीय परीक्षण भी किया जाय। इस व्यवस्था से उत्साही एवं कर्मठ शिक्षकों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा अन्य के लिए भी सकारात्मक प्रेरणा का कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त निष्क्रिय शिक्षकों के भी दायित्व मूल्यांकन कर यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए।
3. शिक्षा जगत में विशेषकर परम्परागत उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की घटती हुई उपस्थिति राष्ट्रीय स्तर पर एक गंभीर समस्या है कुछ प्रदेश विशेष में तो यह स्थिति दयनीय और खतरनाक स्तर को पार कर चुकी है। बायोमैट्रिक उपस्थिति व्यवस्था को कड़ाई से लागू किए जाने की आवश्यकता है। निर्धारित उपस्थिति प्राप्त न करने वाले छात्र–छात्राओं

के छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधाओं से वंचित किया जाना चाहिए और प्रत्येक स्तर पर इस व्यवस्थाओं का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए तभी हम गिरते हुए शिक्षा–स्तर में सुधार की अपेक्षा कर सकते हैं।

4. स्ववित्तपोषित शैक्षिक संस्थाओं एवं शिक्षा का निजीकरण शिक्षा के प्रचार–प्रसार एवं परिमार्जन की दृष्टि से एक स्वागतयोग्य कदम है और यह प्रक्रिया शैक्षिक जगत को नवीन ऊंचाइयों पर ले जा सकती है।परन्तु अब तक के प्रयासों को सार्थक, स्वस्थ एवं निष्पक्ष श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। एक शिक्षक का कई महाविद्यालयों में अनुमोदन, गैर योग्यता प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षकों को उचित प्रतिफल एवं योग्यतानुसार वेतन का भुगतान न होना, मानकों की अनदेखी, विशेषज्ञों एवं सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा उनसे अतिरिक्त भुगतान की अपेक्षा, मानकानुसार शिक्षकों की केवल कागजों पर नियुक्ति आदि अनेकों ऐसी व्यवाहिरक समस्याएं हैं जिनका निराकरण किए बिना निजी हाथों में शिक्षा स्तरहीन क्रियाओं को ही जन्म देगी। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति आधारकार्ड से जोड़ी जाय, नियुक्ति के पश्चात समय–समय पर शिक्षक वास्तविक रूप से कार्य कर रहा है इसकी जांच की व्यवस्था हो। शिक्षकों को मानकानुसार उचित वेतन भुगतान सुनिश्चित हो, निश्चित मापदण्डों का कड़ाई से अनुपालन एवं प्रक्रियाओं में पारदर्शिता अत्यन्त आवष्यक है।

निष्कर्ष

नवीन शिक्षा नीति का जहां समर्थन है वहीं आलोचनाएं भी हैं और यह स्वाभाविक भी है। किसी भी नवीनता की स्वीकार्यता सुगम नहीं होती। यद्यपि अधिकांश विरोध या आलोचनाएं मात्र व्यवस्था विरोध एवं राजनैतिक कारणों के लिए हैं जिन्हें कदापि उचित नहीं माना जा सकता है परन्तु कुछ बिन्दुओं पर यथार्थ आलोचनाओं को स्वीकार कर सुधार किए जाने की आवश्यकता भी है। अभी यह प्रारम्भिक चरण एवं प्रारूप है, इस पर स्वस्थ चर्चाओं एवं सार्थक बहस की जानी चाहिए, किसी भी नीति को सैद्धान्तिक रूप से लागू करना अत्यन्त सुगम है, परन्तु उसको यथार्थ रूप में लागू करना उतना ही कठिन । प्रत्येक स्तर पर व्यवस्थाओं को भ्रष्टाचार मुक्त बनाकर नीतियों को यथावत लागू किया जाना चाहिए तथा व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर करने के प्रयास होने चाहिए। व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर कर सार्थक सुझावों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को शिक्षा में प्राथमिकता मिलनी चाहिए तभी सर्वशिक्षा का अभियान पूरा हो सकेगा और नवीन शिक्षा नीति की उपयोगिता सिद्ध हो सकेगी और हम भारत के विश्वगुरू बनने के स्वप्न को साकार करने में सफल हो पाएंगे।

संदर्भ ग्रंथ

समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं

1. द हिन्दू
2. नवभारत टाइम्स
3. अमर उजाला

4. दैनिक जागरण
5. समकालीन भारत तथा शिक्षा– डा0 राजेश वशिष्ठ एवं डा0 प्रेमलता जोशी, लक्ष्मी बुक डिपो दिल्ली.

बेबसाइट–

1. www.mhrd.gov.in —accessed on 15th August 9.15 P.M
2- www.bbc.com—accessed on 19th August 8.15 P.M
3- www.hindi.careerindia.com —accessed on 25th August 12.15 P.M
4- www.drishtiias.com—accessed on 25th August 5.15 P.M
5- www.scnewsindia.com—accessed on 29th August 7.15 P.M
6- www.bhaskar.com—accessed on 30th August 9.15 P.M
7. www.hastakshop.com —accessed on 31th August 11.15 P.M